

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1
संख्या : 1334 / आठ-1-25-01विविध / 2000
लखनऊ : दिनांक: 21 नवम्बर, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

ओटीएस योजना हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों का विश्लेषण करते हुये ओटीएस योजना को पुनः लागू किये जाने एवं इस संबंध में नीति निर्धारित किये जाने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है:-

1.	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	सदस्य
3.	उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।	सदस्य
4.	उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	सदस्य
5.	उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।	सदस्य
6.	अपर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य
7.	निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ।	सदस्य / संयोजक
8.	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।	सदस्य
9.	वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य

2- उक्त समिति द्वारा ओटीएस योजना हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों का विश्लेषण करते हुए पुनः ओटीएस लागू किये जाने एवं इससे संबंधी नीति का निर्धारण कर अपनी संस्तुति शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, लखनऊ/कानपुर/गाजियाबाद एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
4. अपर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त सचिव/अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।


(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव